(72)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3489–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–9–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 129/अपील/2013–14.

देवीसिंह पिता रामलाल
निवासी ग्राम टुमनी
तहसील खाचरौद जिला उज्जैन .....आवेदक

विरूद्ध

रामलाल पिता नागूजी गुर्जर
निवासी ग्राम पाडसुत्या
तहसील खाचरौद जिला उज्जैन .....अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि श्रीमती पदमाबाई पति दुलाजी गुर्जर की ग्राम टुमनी तहसील खाचरौद जिला उज्जैन स्थित खाता कमांक 1 किता 1 रकबा 0.92 व खाता कमांक 60 किता 3 रकबा 4.16 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदक द्वारा तहसीलदार, खाचरौद के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार से दिनांक 30–6–2009 को आदेश पारित कराकर संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बटवारा करा लिया गया है । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, खाचरौद जिला उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7–1–2014 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, उज्जैन

संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–9–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसीलदार का आदेश यथावत रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 178 के अंतर्गत संयुक्त खातेदार ही बटवारा करा सकता है, जबकि अनावेदक पदमाबाई का उत्तराधिकारी नहीं, और न ही सहखातेदार है । अतः तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर आदेश पारित करने से निरस्ती योग्य था, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, और अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी के वैधानिक आदेश को निरस्त करने में विधि भूल की गई है ।

(2) अनावेदक पदमाबाई के परिवार का सदस्य नहीं है, और न ही वह सहखातेदार है ।

(3) संहिता में हुए संशोधन के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का अधिकार नहीं रह गया है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत कार्यवाही की जा रही थी, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

(4) चूंकि पदमाबाई का कोई वारिस नहीं था, इसीलिए उनके द्वारा भूमि मंदिर को दान में दी गई है, और इसी आशय का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूल की गई है ।

(5) रूपये 100/– से अधिक मूल्य की सम्पत्ति बिना पंजीकृत दस्तावेज के अंतरित नहीं हो सकती है, इस कारण भी तहसीलदार द्वारा पारित बटवारा आदेश अवैधानिक एवं अनियमित है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 2005 आर.एन. 166(एच.सी.), 2012 आर.एन. 433, 1987 आर.एन. 224, 2000 आर.एन. 174 (एच.सी.), 2010 आर.एन. 225 एवं ए.आई.आर. 1955 (एस.सी.)340 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक की ओर से लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं था, इसलिए उसे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था, और उसके द्वारा अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी से कोई अनुमति भी नहीं ली गई है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करने में अवैधानिकता की गई थी, अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) आवेदक पदमाबाई का न तो परिवार का सदस्य है, और न ही रिश्तेदार है, इसके बावजूद उसके द्वारा 4 वर्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसमें सुनवाई करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि एवं न्याय की भूल की गई है ।

(3) पदमाबाई द्वारा अनावेदक के पक्ष में बटवारा करने में सहमति दी गई थी, और तहसीलदार द्वारा प्रकिया का पालन करते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1986 आर.एन. 294 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के बटवारा प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि में न तो सह खातेदार है, और न ही भूमिस्वामियों का वारिस है । उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों सहित इस न्यायालय में यह प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि वह प्रश्नाधीन भूमि में क्यों और कैसे हित रखता है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–9–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर